<u>न्यायालय सब–जज प्रथम लखीसराय</u>

Title Suit - 32/2010

जयनंदन शर्मा.....वादी।

बनाम

भूषण सिंह बगैरह.....प्रतिवादीगण

<u>03.01.2020</u> **<u>आदेश</u>**

वादी अनुपस्थित हैं तथा प्रतिवादी की पैरवी है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन करते हैं कि वादी को पूर्व में भी प्रत्युत्तर दाखिल करने हेतू न्यायालय के द्वारा अंतिम अवसर दिया गया, परंतु आज भी वादी की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया है। अतः प्रतिवादी को सुनकर प्रतिवादी के आवेदन दिनांक–25.07.2019 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 पर सुनकर आदेश पारित किया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं इस वाद में प्रतिवादीगण के आवेदन एवं खर्चा पर न्यायालय द्वारा विवाी जमीन के भौतिक संरचना के निरीक्षण हेतू अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की गई थी जिन्होंने स्थल का निरीक्षण भी किया तथा प्रतिवेदन को न्यायालय में समर्पित भी कर दिया। उक्त अधिवक्ता आयुक्त द्वारा जो प्रतिवेदन समर्पित किया गया उसमें वर्णित सभी बातें सही है, परंतु कुछ बातों का जिक्र प्रतिवेदन में नहीं किया है जबकि वह विवादी स्थल पर मौजूद है तथा उस समय भी मौजूद था। इन तथ्यों का जिक्र प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल ब्यान तहरीर में भी किया गया है। विवादी जमीन के पश्चिम अर्ध भाग में 2 अमरूद का पेड़ एवं एक केला का पेड़ भी लगा था तथा अभी भी लगा हुआ है जिसका जिक्र अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन में नहीं है। विवादी जमीन के पुर्वार्ध में दक्षिण तरफ एक बिना छतदार परवाना बना हुआ है जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है इस बात का भी लोप अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवदेन में है। पूर्व के अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन से न्यायालय के समक्ष अर्धसत्य बात ही न्यायालय के समक्ष आ सका तथा अर्थपूर्ण सत्य न्यायालय के समक्ष आने हेतू पुनः अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति आवश्यक है। नये नियुक्त किये जाने वाले अधिवक्ता आयुक्त पर होने वाले खर्च का वहन करते हेतू प्रतिवादीगण तैयार है।

सुना। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी का जो आवेदन है उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति में यह न्यायालय यह न्यायोचित समझती है कि जमीन के भौतिक संरचना के निरीक्षण हेतू अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर उनका प्रतिवेदन वादी के खर्चा पर प्राप्त किया जाय। विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार को अधिवक्ता आयुक्त हेतू नियुक्त किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि अधिवक्ता आयुक्त के खर्चा हेतू 2000/– रुपया नजारत में एक सप्ताह के अंदर जमा करेंगे। तत्पश्चात् कार्यालय लिपिक रिट निर्गत करें। दिनांक– 20.02.2020 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतू।

लेखापित

सब–जज प्रथम, लखीसराय।